प्रशान्त कुमार,
आई0पी0एस0

डीजी परिपत्र सं0 -22 /2024

पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश।
पुलिस मुख्यालय, गोमती नगर विस्तार,
लखनऊ-226002
दिनांक: मई11, 2024

विषयः प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा-482 सं0-14195/2024 राजेश बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य सम्बन्धित मु.अ.सं. 102/2015 धारा-147,353,34,504, भादवि, थाना-तहबरपुर, जनपद-आजमगढ़ में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 01.05.2024 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

प्रिय महोदय/महोदया,

अवगत कराना है कि समय-समय पर मुख्यालय स्तर से आपराधिक मामलों की समयबद्ध व साक्ष्यपरक विवेचना पूर्ण कर आरोप पत्र मा0 न्यायालय में प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में पार्श्वांकित परिपत्रों के माध्यम से निर्देश निर्गत किये गये है किन्तु उसका पूर्णतया अनुपालन नहीं किया जा रहा है।

डीजी-परिपत्र सं0 - 06/2021 दि0 19.02.2021
डीजी-परिपत्र सं0 - 01/2019 दि0 02.01.2019
डीजी-परिपत्रसं0 - 59/2016 दि0 20.10.2016

2- प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा-482 सं0-14195/2024 राजेश बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 01.05.2024 में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा मु.अ.सं. 102/2015 धारा-147,353,34,504, भादवि, थाना-तहबरपुर, जनपद-आजमगढ़ का दिनांक 09.05.2016 को किता किया गया आरोपपत्र अत्यन्त विलम्ब से दिनांक 19.12.2019 को मा0 न्यायालय भेजने तथा सम्बन्धित क्षेत्राधिकारी द्वारा हस्ताक्षर के साथ तिथि न अंकित करने को लेकर अप्रसन्नता व्यक्त करते हुये अधोहस्ताक्षरी को निम्नवत कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है–

> 2. A perusal of the charge sheet would demonstrate that although the Investigating Officer had signed on the charge sheet on 9.5.2016 and the Circle Officer has send the same to the court concerned with his signature, however, signature is undated. It is being noted by this Court that in several cases the Circle Officer is sending the charge sheet to the court without endorsing the date under his signature.
>
> 3. The Director General of Police shall file his personal affidavit as to why the Circle Officer has not put the date under his signature when the charge sheet is forwarded to the court concerned. The affidavit shall also be given with regard to the actual date when the charge sheet has been submitted before the court concerned. If it is found that the Circle Officer was not diligent in his duties, the Director General of Police shall mention in his affidavit the action taken against such an officer who is not putting the date on which he has forwarded the charge sheet to the court concerned.

3- प्रश्नगत रिट याचिका में आरोपी द्वारा आपराधिक प्रकरण में विवेचना पूर्ण होने के तीन वर्ष सात माह बाद आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दिनांक 19.12.2019 को संज्ञान लिये जाने को कालबाधित प्रकरण बताते हुये मा0 उच्च न्यायालय में चुनौती दी गयी है।

.....2

4- उपरोक्त से स्पष्ट है कि समयबद्ध विवेचना करते हुए आरोप पत्र नियत समय सीमा के अंदर न्यायालय प्रेषित किया जाना अत्यंत महत्वपूर्ण है तथा आरोप पत्र तैयार हो जाने के उपरान्त पर्यवेक्षण अधिकारी स्तर पर मात्र अग्रसारण हेतु लम्बित रखना तथा आरोप पत्र में मा0 न्यायालय प्रेषित करते समय हस्ताक्षर के साथ तिथि अंकित न करना किसी भी दशा में स्वीकार्य नहीं है।

5- अतः आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि अपने अधीनस्थ समस्त विवेचनाधिकारियों एवं पर्यवेक्षण अधिकारियों को इस मुख्यालय स्तर से निर्गत आरोपपत्र समय से न्यायालय प्रेषित करने सम्बन्धी पूर्व निर्देशों से अवगत करा दें तथा यह सुनिश्चित किया जाए कि समस्त पर्यवेक्षण अधिकारी आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित करने हेतु बनाये गये हस्ताक्षर के साथ तिथि अवश्य अंकित करें। यदि भविष्य में इस प्रकार का दृष्टांत प्रकाश में आता है तो सम्बन्धित विवेचनाधिकारियों एवं पर्यवेक्षण अधिकारियों के साथ ही जनपद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। इन निर्देशो को अपना व्यक्तिगत ध्यान दें एवं सुनिश्चित करें कि अनुपालन में कोई त्रुटि न हो।

भवदीय,

11.5.24.

(प्रशान्त कुमार)

1. समस्त पुलिस आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, प्रभारी जनपद, उत्तर प्रदेश।

<u>प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु</u> :—

1. समस्त पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0, लखनऊ।
2. अपर पुलिस महानिदेशक (रेलवेज), उ0प्र0, लखनऊ।
3. अपर पुलिस महानिदेशक (अभियोजन), उ0प्र0, लखनऊ।
4. अपर पुलिस महानिदेशक (अपराध), उ0प्र0, लखनऊ।
5. अपर पुलिस महानिदेशक, तकनीकी सेवाएं मुख्यालय, उ0प्र0, लखनऊ।
6. समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0।
7. पुलिस महानिरीक्षक (कानून एवं व्यवस्था),उ0प्र0, लखनऊ।
8. समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक / पुलिस उपमहानिरीक्षक, उ0प्र0।